सं. 12016/09/2023-रा.भा.(का.2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग (का.2)

***

एनसी.सी.डी..।। भवन-,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली110001-,
दिनांक: 13 जून, 2023

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय अपने संवैधानिक दायित्वों के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस-2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के लगभग 10 हजार से ज्यादा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की।

2. पिछले वर्ष की भांति, इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी स्वरूप में पुणे (महाराष्ट्र) में किया जाएगा। यह संयुक्त आयोजन 14-15 सितंबर, 2023 को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे में होगा ।

3. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाले हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति और बेहतर करने के बारे में चर्चा की जाएगी। अतः केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/नराकास (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव) आदि से अपेक्षा है कि वे इस सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभागी भेजकर आयोजन को सफल बनाएं।

4. इस सम्मेलन में प्रतिभागियों के टी.ए./डी.ए. का वहन संबंधित मंत्रालय/कार्यालय/संगठन द्वारा सरकारी नियमानुसार किया जाएगा। प्रतिभागियों को अपने ठहरने की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

5. उक्त सम्मेलन में राजभाषा से जुड़े सभी कार्मिकों और राजभाषा का काम देख रहे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।

6. सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु अपना पंजीकरण (निःशुल्क) राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर दिए गए लिंक https://164.100.54.224/dolregister से करना आवश्यक है।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव(कार्यान्वयन)
फोन: 011-23438129

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम/नराकास/स्वायत्त संस्थान/संवैधानिक निकाय आदि।